ISSN: 2394-3122 (Online)
ISSN: 2394-6253 (Print)
Impact Factor: 6.03

Volume 12 Issue 9, September 2025

SK International Journal of Multidisciplinary Research Hub

Journal for all Subjects

e-ISJN: A4372-3088
p-ISJN: A4372-3089

Research Article / Survey Paper / Case Study

Published By: SK Publisher (www.skpublisher.com)

A Monthly Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access Multidisciplinary & Multilingual International Journal - Included in the International Serial Directories

भारत में महिला सशक्तिकरण के मुद्दों और चुनौतियों पर एक अध्ययन

रेणु[1]
शोधार्थी, समाजशास्त्र विभाग,
एफएस, विश्वविद्यालय, शिकोहाबाद,
फ़िरोज़ाबाद, भारत

डॉ. देवी लाल[2]
शोध पर्यवेक्षक, समाजशास्त्र विभाग,
एफएस, विश्वविद्यालय, शिकोहाबाद,
फ़िरोज़ाबाद, भारत

DOI: https://doi.org/10.61165/sk.publisher.v12i9.2

सारांश: *यह शोधपत्र भारत में महिला सशक्तिकरण की स्थिति का विश्लेषण करने और महिला सशक्तिकरण के मुद्दों और चुनौतियों पर प्रकाश डालने का प्रयास करता है। आज महिला सशक्तिकरण 21वीं सदी की सबसे महत्वपूर्ण चिंताओं में से एक बन गया है। लेकिन व्यावहारिक रूप से महिला सशक्तिकरण अभी भी वास्तविकता का एक भ्रम है। हम अपने दैनिक जीवन में देखते हैं कि कैसे महिलाएँ विभिन्न सामाजिक बुराइयों का शिकार होती हैं। महिला सशक्तिकरण, महिलाओं की संसाधन प्राप्त करने और रणनीतिक जीवन विकल्प चुनने की क्षमता का विस्तार करने का एक महत्वपूर्ण साधन है। महिला सशक्तिकरण अनिवार्य रूप से समाज में पारंपरिक रूप से वंचित महिलाओं की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्थिति के उत्थान की प्रक्रिया है। यह उन्हें सभी प्रकार की हिंसा से बचाने की प्रक्रिया है। यह अध्ययन पूर्णतः द्वितीयक स्रोतों पर आधारित है। अध्ययन से पता चलता है कि भारत की महिलाएँ अपेक्षाकृत अशक्त हैं और सरकार द्वारा किए गए अनेक प्रयासों के बावजूद, उन्हें पुरुषों की तुलना में कुछ कम दर्जा प्राप्त है। यह पाया गया है कि महिलाओं द्वारा असमान लैंगिक मानदंडों को स्वीकार करना अभी भी समाज में प्रचलित है। अध्ययन इस अवलोकन के साथ समाप्त होता है कि शिक्षा, रोज़गार और सामाजिक संरचना में परिवर्तन तक पहुँच ही महिला सशक्तिकरण के लिए सहायक कारक हैं।*

मुख्य शब्द: *महिला सशक्तिकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक-आर्थिक स्थिति, महिलाओं के विरुद्ध अपराध, नीतिगत निहितार्थ।*

प्रस्तावना

महिला सशक्तिकरण का तात्पर्य महिलाओं के व्यक्तिगत और सामुदायिक आध्यात्मिक, राजनीतिक, सामाजिक, शैक्षणिक, लैंगिक या आर्थिक शक्ति में वृद्धि से है। भारत में महिला सशक्तिकरण कई अलग-अलग कारकों पर निर्भर करता है, जिनमें भौगोलिक स्थिति (शहरी/ग्रामीण), शैक्षिक स्थिति, सामाजिक स्थिति (जाति और वर्ग) और आयु शामिल हैं। महिला

© 2025, SK Publisher All Rights Reserved

सशक्तिकरण संबंधी नीतियाँ राष्ट्रीय, राज्य और स्थानीय (पंचायत) स्तर पर स्वास्थ्य, शिक्षा, आर्थिक अवसर, लैंगिक हिंसा और राजनीतिक भागीदारी सहित कई क्षेत्रों में मौजूद हैं। हालाँकि, सामुदायिक स्तर पर नीतिगत प्रगति और वास्तविक व्यवहार के बीच एक बड़ा अंतर है। महिला सशक्तिकरण अनिवार्य रूप से समाज में पारंपरिक रूप से वंचित महिलाओं की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्थिति के उत्थान की प्रक्रिया है। यह उन्हें सभी प्रकार की हिंसा से बचाने की प्रक्रिया है। महिला सशक्तिकरण में एक ऐसे समाज और राजनीतिक वातावरण का निर्माण शामिल है जहाँ महिलाएँ उत्पीड़न, शोषण, आशंका, भेदभाव और पारंपरिक रूप से पुरुष-प्रधान व्यवस्था में महिला होने के कारण होने वाले उत्पीड़न की सामान्य भावना के भय के बिना साँस ले सकें। विश्व की लगभग 50% जनसंख्या महिलाओं की है, लेकिन भारत में लिंगानुपात असमान है, जहाँ महिलाओं की जनसंख्या पुरुषों की तुलना में अपेक्षाकृत कम है। जहाँ तक उनकी सामाजिक स्थिति का प्रश्न है, उन्हें सभी स्थानों पर पुरुषों के बराबर नहीं माना जाता। पश्चिमी समाजों में, महिलाओं को जीवन के सभी क्षेत्रों में पुरुषों के समान अधिकार और दर्जा प्राप्त है। लेकिन भारत में आज भी लैंगिक अक्षमताएँ और भेदभाव पाए जाते हैं। विरोधाभासी स्थिति यह है कि कभी उन्हें देवी माना जाता था तो कभी केवल दासी।

साहित्य समीक्षा

एच. सुब्रह्मण्यम (2011) भारत में वर्तमान और अतीत में महिला शिक्षा की तुलना करते हैं। लेखक ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि स्कूलों में छात्राओं के समग्र नामांकन में अच्छी प्रगति हुई है। सशक्तीकरण शब्द का अर्थ है कार्य करने के लिए वैध शक्ति या अधिकार देना। यह महिलाओं की कुछ गतिविधियों को हासिल करने की प्रक्रिया है। एम. भवानीशंकर राव (2011) ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि स्वयं सहायता समूह की महिला सदस्यों के स्वास्थ्य में निश्चित रूप से सुधार हुआ है। यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि महिला सदस्य आपस में अन्य सदस्यों और उनके बच्चों की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के बारे में चर्चा करती हैं और उन्हें विशेष रूप से उनके लिए बनाए गए विभिन्न सरकारी प्रावधानों से अवगत कराती हैं। डोपके एम. टेरटिल्ट एम. (2011) क्या महिला सशक्तिकरण आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है? यह अध्ययन एक अनुभवजन्य विश्लेषण है जो बताता है कि माताओं के हाथ में पैसा बच्चों को लाभ पहुंचाता है। इस अध्ययन ने गैर-सहकारी पारिवारिक सौदेबाजी मॉडलों की एक श्रृंखला विकसित की ताकि यह समझा जा सके कि किस प्रकार के घर्षण देखे गए अनुभवजन्य संबंध को जन्म दे सकते हैं।

डुफ्लो ई. (2011) महिला सशक्तिकरण और आर्थिक विकास, राष्ट्रीय आर्थिक अनुसंधान ब्यूरो कैम्ब्रिज अध्ययन में तर्क दिया गया है कि सशक्तिकरण और विकास के अंतर्संबंध शायद आत्मनिर्भर होने के लिए बहुत कमजोर हैं और पुरुषों और महिलाओं के बीच समानता लाने के लिए समान रूप से निरंतर नीति प्रतिबद्धता की आवश्यकता हो सकती है। सेथुरमन के. (2008) दक्षिण भारत में एक आदिवासी और ग्रामीण समुदाय में बाल विकास और कुपोषण में महिला सशक्तिकरण और घरेलू हिंसा की भूमिका। यह शोध पत्र महिला सशक्तिकरण और घरेलू हिंसा, मातृ पोषण स्थिति और ग्रामीण और आदिवासी समुदाय में 6 से 24 महीने की उम्र के बच्चों में छह महीने में पोषण स्थिति और विकास के बीच संबंधों की पड़ताल करता है। यह अनुदैर्ध्य

अवलोकन अध्ययन ग्रामीण कर्नाटक में किया गया। भारत में आदिवासी और ग्रामीण विषय शामिल थे। वेंकट रवि और वेंकटरमण (2005) ने पारिवारिक मामलों और समूह गतिविधियों दोनों में निर्णय लेने पर महिलाओं की भागीदारी और नियंत्रण पर SHG के प्रभावों पर ध्यान केंद्रित किया। अध्ययन के उद्देश्य

1. महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता को जानना।
2. भारत में महिला सशक्तिकरण के प्रति जागरूकता का आकलन करना।
3. महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को प्रभावित करने वाले कारकों का विश्लेषण करना।
4. महिला सशक्तिकरण के लिए सरकारी योजनाओं का अध्ययन करना।
5. महिला सशक्तिकरण की राह में आने वाली बाधाओं की पहचान करना।
6. निष्कर्षों के आलोक में उपयोगी सुझाव प्रस्तुत करना।

शोध पद्धति

यह शोध पत्र मूलतः वर्णनात्मक और विश्लेषणात्मक प्रकृति का है। इस शोध पत्र में भारत में महिला सशक्तिकरण का विश्लेषण करने का प्रयास किया गया है। इसमें प्रयुक्त आँकड़े इस अध्ययन की आवश्यकता के अनुसार विशुद्ध रूप से द्वितीयक स्रोतों से लिए गए हैं। महिलाओं के विरुद्ध अपराध भारत में महिला सशक्तिकरण के विरुद्ध हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा महिलाओं के विरुद्ध अपराधों पर एक रिपोर्ट में चौंकाने वाले आँकड़े सामने आए हैं।

वर्ष 2009 से 2013 के दौरान दर्ज अपराधों का अपराध शीर्षवार ब्यौरा। देश में वर्ष 2012 के दौरान महिलाओं के विरुद्ध अपराध की कुल 2,44,270 घटनाएं (आईपीसी और एसएलएल दोनों के तहत) दर्ज की गईं, जबकि वर्ष 2011 में यह संख्या 2,28,649 थी। इस प्रकार वर्ष 2012 में 6.4% की वृद्धि दर्ज की गई। 2008-2012 के दौरान इन अपराधों में लगातार वृद्धि हुई है और वर्ष 2008 में 1,95,856 मामले दर्ज किए गए। 2009 में 2,03,804 मामले और 2010 में 2,13,585 मामले और 2011 में 2,28,650 मामले और वर्ष 2012 में 2,44,270 मामले दर्ज किए गए। कुल आईपीसी अपराधों में महिलाओं के विरुद्ध किए गए आईपीसी अपराधों का अनुपात पिछले 5 वर्षों में वर्ष 2011 में 9.2% से बढ़ा है। वर्ष 2009 से 2013 में 11.2% तक।

नई दिल्ली में महिलाओं की वर्तमान स्थिति

भारतीय महिलाओं के लिए अपने पुरुष समकक्षों के बराबर होना अभी भी एक दूर की कौड़ी है। सार्वजनिक हस्तियों के रूप में वे न केवल हाशिए पर हैं, बल्कि एक औसत भारतीय महिला घर या बाहर भी मुश्किल से ही फैसले ले पाती है। 2012 में, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के 74 में से केवल 8 मंत्री पदों पर महिलाएं थीं। सर्वोच्च न्यायालय के 26 न्यायाधीशों में से केवल 2 महिला न्यायाधीश थीं और विभिन्न उच्च न्यायालयों के 634 न्यायाधीशों में से केवल 54 महिला न्यायाधीश थीं। चौंकाने वाले तथ्य: मानव विकास संकेतकों पर यूएनडीपी की 2013 की रिपोर्ट के अनुसार, अफगानिस्तान को छोड़कर सभी दक्षिण एशियाई देश महिलाओं के मामले में भारत से बेहतर रैंकिंग पर थे। यह भविष्यवाणी करता है: 1-5 वर्ष की आयु की एक भारतीय बालिका की मृत्यु की संभावना बालक की तुलना में 75% अधिक होती है। हर 20 मिनट में एक बार एक महिला के साथ

बलात्कार होता है और सभी अपराधों का 10% रिपोर्ट किया जाता है। भारत की जनसंख्या में महिलाओं की हिस्सेदारी 48% है, राष्ट्रीय कार्यबल में उनकी हिस्सेदारी केवल 29% है; केवल 26% महिलाओं को औपचारिक ऋण प्राप्त है।

महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता क्यों?

भारतीय संस्कृति के "वेदों और पुराणों" में महिलाओं की पूजा की जाती है, जैसे धन की देवी लक्ष्मी माँ; बुद्धि के लिए सरस्वती माँ; शक्ति के लिए दुर्गा माँ। भारत में महिलाओं की स्थिति, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, महिला सशक्तिकरण के मुद्दे पर ध्यान देने की आवश्यकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 66% महिला आबादी का उपयोग नहीं हो पाता है। यह मुख्य रूप से मौजूदा सामाजिक रीति-रिवाजों के कारण है। कृषि और पशुपालन में महिलाएँ कुल कार्यबल का 90% योगदान देती हैं। महिलाएँ जनसंख्या का लगभग आधा हिस्सा हैं, लगभग 2/3 कार्य घंटे करती हैं, विश्व की आय का 1/10वां भाग प्राप्त करती हैं और विश्व की 1/100वीं से भी कम संपत्ति की मालिक हैं। दुनिया के 90 करोड़ निरक्षर लोगों में, महिलाओं की संख्या पुरुषों से दो गुना अधिक है। गरीबी में रहने वाले 70% लोग महिलाएँ हैं। कम लिंगानुपात यानी 933, मौजूदा अध्ययनों से पता चलता है कि महिलाएं पुरुषों की तुलना में अपेक्षाकृत कम स्वस्थ हैं, हालांकि वे समान वर्ग से संबंधित हैं। वे विकासशील देशों में प्रशासकों और प्रबंधकों के 1/7वें हिस्से से भी कम का गठन करती हैं। विश्व संसद में केवल 10% और राष्ट्रीय मंत्रिमंडल में 6% सीटें महिलाओं के पास हैं। महिला सशक्तिकरण की बाधाएँ: मुख्य समस्याएँ जिनका सामना महिलाओं को पहले और आज भी कुछ हद तक करना पड़ता है-

1. लैंगिक भेदभाव
2. शिक्षा का अभाव
3. कन्या भ्रूण हत्या
4. वित्तीय बाधाएँ
5. पारिवारिक ज़िम्मेदारी
6. कम गतिशीलता
7. जोखिम उठाने की कम क्षमता
8. उपलब्धि की कम आवश्यकता
9. उपलब्धि के लिए महत्वाकांक्षा का अभाव

महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता

महिलाएँ निर्णय लेने की शक्ति, आवागमन की स्वतंत्रता, शिक्षा तक पहुँच, रोज़गार तक पहुँच, मीडिया के संपर्क और घरेलू हिंसा से वंचित हैं।

महिलाओं को सशक्त बनाने के तरीके

महिलाओं की गतिशीलता और सामाजिक संपर्क में बदलाव, महिलाओं के श्रम पैटर्न में बदलाव, संसाधनों तक महिलाओं की पहुँच और नियंत्रण में बदलाव, निर्णय लेने की प्रक्रिया पर महिलाओं के नियंत्रण में बदलाव, शिक्षा प्रदान करना, स्व-रोज़गार और स्वयं सहायता समूह, पोषण, स्वास्थ्य, स्वच्छता, आवास जैसी न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति। इसके अलावा, समाज को महिला शब्द के प्रति अपनी मानसिकता बदलनी चाहिए। महिलाओं को अपने क्षेत्र में आगे बढ़ने और अपना करियर बनाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए।

महिला सशक्तिकरण के लिए सरकारी योजनाएँ

भारत में महिला विकास के लिए सरकारी कार्यक्रम 1954 में ही शुरू हो गए थे, लेकिन वास्तविक भागीदारी 1974 में ही शुरू हुई। वर्तमान में, भारत सरकार के पास

विभिन्न विभागों और मंत्रालयों द्वारा संचालित महिलाओं के लिए 34 से अधिक योजनाएँ हैं। इनमें से कुछ इस प्रकार हैं;

1. राष्ट्रीय महिला कोष (आरएमके) 1992-1993
2. महिला समृद्धि योजना (एमएसवाई) अक्टूबर, 1993
3. इंदिरा महिला योजना (आईएमवाई) 1995
4. 1997-98 में महिला उद्यमिता विकास कार्यक्रम को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई।
5. लगभग 9000 गाँवों में महिला समाख्या का क्रियान्वयन किया जा रहा है।
6. स्वयंसजधा।
7. स्व शक्ति समूह।
8. महिलाओं के लिए प्रशिक्षण एवं रोजगार कार्यक्रम (एसटीईपी) को सहायता।
9. स्वालंबन।
10. कामकाजी और बीमार माताओं के बच्चों के लिए क्रेच/डे केयर सेंटर।
11. कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास।
12. स्वाधार।
13. राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण मिशन।
14. एकीकृत बाल विकास सेवाएँ (आईसीडीएस) (1975),
15. राजीव गांधी किशोरियों के सशक्तिकरण हेतु योजना (आरजीएसईएजी) (2010)।
16. कामकाजी माताओं के बच्चों के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय क्रेच योजना।
17. 17.एकीकृत बाल संरक्षण योजना (आईसीपीएस) (2009-2010)।
18. धनलक्ष्मी (2008)।

19. अल्पावास गृह।
20. उज्ज्वला (2007)।
21. जेंडर बजटिंग योजना (ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना)।
22. एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आईआरडीपी)।
23. ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण (ट्राइसेम)।
24. प्रधानमंत्री रोजगार योजना (पीएमआरवाई)।
25. महिला विकास निगम योजना (डब्ल्यूडीसीएस)।
26. कामकाजी महिला मंच।
27. इंदिरा महिला केंद्र।
28. महिला समिति योजना।
29. खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग।
30. इंदिरा प्रियदर्शिनी योजना।
31. एसबीआई की श्रीशक्ति योजना।
32. सिडबी की महिला उद्यम निधि।
33. गैर-सरकारी संगठनों की ऋण योजनाएँ।
34. राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की योजनाएँ।

सरकार और उसकी विभिन्न एजेंसियों के प्रयासों को गैर-सरकारी संगठनों द्वारा भी सहायता प्रदान की जा रही है जो महिला सशक्तिकरण को सुगम बनाने में समान रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

सरकारों और गैर-सरकारी संगठनों के सम्मिलित प्रयासों के बावजूद, कुछ कमियाँ हैं। बेशक, हमने महिलाओं को सशक्त बनाने में एक लंबा सफर तय किया है, फिर भी भविष्य की यात्रा कठिन और चुनौतीपूर्ण है।

महिला सशक्तिकरण की स्थिति

महिला सशक्तिकरण की स्थिति को एकल आयाम से नहीं, बल्कि महिलाओं के जीवन के विभिन्न पहलुओं के बहुआयामी मूल्यांकन से स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है। इसलिए, यह शोधपत्र रोज़गार, शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक स्थिति के संदर्भ में महिलाओं की स्थिति और स्तर के बारे में एक बुनियादी जानकारी देने का प्रयास करता है। अलग से विस्तार से बताने से पहले, आइए 2012 में विश्व आर्थिक मंच द्वारा तैयार किए गए लिंग भेद सूचकांक के संदर्भ में महिलाओं की समग्र स्थिति पर एक नज़र डालें।

चुनौतियाँ

भारत में महिला सशक्तिकरण की प्रक्रिया में कई बाधाएँ हैं। भारत जैसे विकासशील देशों में सामाजिक मानदंड और पारिवारिक संरचना, महिलाओं की अधीनस्थ स्थिति को दर्शाती और बनाए रखती है। इनमें से एक मानदंड है, लड़की के जन्म की तुलना में बेटे को प्राथमिकता देना, जो लगभग सभी समाजों और समुदायों में मौजूद है। शिक्षा, पोषण और अन्य अवसरों के मामले में समाज लड़कों के पक्ष में अधिक पक्षपाती है। इस प्रकार के रवैये का मूल कारण यह धारणा है कि मेघालय को छोड़कर भारत में लड़के को ही वंश का उत्तराधिकारी माना जाता है। महिलाएं अक्सर अपनी भूमिका की पारंपरिक अवधारणा को स्वाभाविक मान लेती हैं और इस प्रकार उन पर अन्याय होता है। भारत में अधिकांश महिलाओं के लिए गरीबी जीवन की वास्तविकता है। यह एक और कारक है जो महिला सशक्तीकरण को साकार करने में चुनौती पेश करता है। भारत में महिलाओं के अधिकार के मुद्दों को लेकर कई चुनौतियां हैं। इन मुद्दों पर लक्ष्य करने से भारत में महिलाओं के सशक्तीकरण को सीधे लाभ होगा शिक्षा: जहां शिक्षा का संबंध है, देश आजादी के बाद से छलांग और सीमा से आगे बढ़ा है। महिलाओं और पुरुषों के बीच का अंतर गंभीर है। जबकि 82.14% वयस्क पुरुष शिक्षित हैं, भारत में केवल 65.46% वयस्क महिलाएं ही साक्षर हैं। लिंग पूर्वाग्रह उच्च शिक्षा, विशेष व्यावसायिक प्रशिक्षणों में है, जो महिलाओं को रोजगार और किसी भी क्षेत्र में शीर्ष नेतृत्व प्राप्त करने में बहुत कठिन मार डालता है। गरीबी: गरीबी को दुनिया में शांति के लिए सबसे बड़ा खतरा माना जाता है

व्यावसायिक असमानता

यह असमानता रोज़गार और पदोन्नति में व्याप्त है। सरकारी कार्यालयों और निजी उद्यमों में पुरुष-अनुकूलित और वर्चस्व वाले वातावरण में महिलाओं को अनगिनत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। नैतिकता और असमानता: स्वास्थ्य और पोषण में लैंगिक पूर्वाग्रह के कारण, महिलाओं में असामान्य रूप से उच्च नैतिकता दर है, जिससे उनकी जनसंख्या विशेष रूप से एशिया, अफ्रीका और चीन में और कम हो रही है। घरेलू असमानता: घरेलू संबंधों में दुनिया भर में, विशेष रूप से भारत में, अत्यंत सूक्ष्म लेकिन महत्वपूर्ण रूप से लैंगिक पूर्वाग्रह दिखाई देता है, जैसे कि तथाकथित कार्य-विभाजन द्वारा घर के काम, बच्चों की देखभाल और छोटे-मोटे कामों का बोझ साझा करना।

संवैधानिक प्रावधान

भारत में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए संवैधानिक प्रावधान: सभी व्यक्तियों के लिए कानून के समक्ष समानता (अनुच्छेद-14)। धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध (अनुच्छेद 15(I))। हालाँकि, राज्य द्वारा महिलाओं और बच्चों के पक्ष में विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं (अनुच्छेद 15(3)। राज्य के अधीन किसी भी पद पर नियुक्ति या नियोजन से संबंधित सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता (अनुच्छेद 16)। राज्य की नीति पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए समान रूप से आजीविका के पर्याप्त साधनों का अधिकार सुनिश्चित करने पर केंद्रित होगी (अनुच्छेद 39(क); (v) पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन (अनुच्छेद 39(घ)। राज्य द्वारा न्यायसंगत और मानवीय कार्य स्थितियों और मातृत्व राहत सुनिश्चित करने के लिए प्रावधान किए जाएँगे (अनुच्छेद 42)। भारत के प्रत्येक

नागरिक द्वारा सद्भाव को बढ़ावा देना और ऐसी प्रथाओं का त्याग करना जो महिलाओं की गरिमा के लिए अपमानजनक हैं। अनुच्छेद 51क(ङ)। स्थानीय निकायों, जैसे पंचायतों और नगर पालिकाओं के प्रत्यक्ष चुनाव में महिलाओं के लिए कुल सीटों के कम से कम एक-तिहाई का आरक्षण (अनुच्छेद 343(घ) और 343(त)।

अध्ययन के निष्कर्ष

1. वैश्वीकरण, उदारीकरण और अन्य सामाजिक-आर्थिक ताकतों ने जनसंख्या के एक बड़े हिस्से को कुछ राहत दी है। हालाँकि, अभी भी कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ भारत में महिला सशक्तिकरण काफी हद तक कमी है।
2. देश के लोगों की मानसिकता में व्यापक बदलाव की आवश्यकता है। न केवल महिलाओं को, बल्कि पुरुषों को भी एक ऐसे विश्व के प्रति जागरूक होना होगा जो समानता और समता की ओर बढ़ रहा है। बेहतर होगा कि इसे हमारी भलाई के लिए बाद में अपनाने के बजाय पहले ही अपना लिया जाए।
3. देश में कई सरकारी कार्यक्रम और गैर-सरकारी संगठन हैं, फिर भी संरक्षण में रहने वालों और न रहने वालों के बीच एक बड़ा अंतर है।
4. गरीबी और निरक्षरता इन जटिलताओं को और बढ़ा देते हैं। महिलाओं का सशक्तिकरण उनके स्वास्थ्य और सुरक्षा की गारंटी से शुरू होता है।
5. महिलाओं का सशक्तिकरण तभी संभव है जब उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति में सुधार हो। यह तभी संभव है जब महिलाओं के संपूर्ण विकास के उद्देश्य से निश्चित सामाजिक और आर्थिक नीतियों को अपनाया जाए और उन्हें यह एहसास दिलाया जाए कि उनमें एक सशक्त इंसान बनने की क्षमता है।
6. एक स्थायी विश्व बनाने के लिए, हमें महिलाओं को सशक्त बनाना शुरू करना होगा।

सुझाव

1. महिलाओं की शिक्षा को पहली और सबसे बड़ी प्राथमिकता दी जानी चाहिए, जो एक बुनियादी समस्या है। इसलिए, महिलाओं की शिक्षा विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।
2. महिलाओं, विशेषकर कमजोर वर्गों की महिलाओं में उनके अधिकारों के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए।
3. महिलाओं को काम करने की अनुमति दी जानी चाहिए और उन्हें काम करने के लिए पर्याप्त सुरक्षा और सहायता प्रदान की जानी चाहिए। उन्हें पुरुषों के समान उचित वेतन और काम दिया जाना चाहिए ताकि समाज में उनकी स्थिति ऊँची हो सके।
4. समाज में व्याप्त कुरीतियों पर अंकुश लगाने के लिए कार्यक्रमों और अधिनियमों का कड़ाई से क्रियान्वयन होना चाहिए।

निष्कर्ष

इस प्रकार, आय/रोज़गार और शिक्षा के क्षेत्र में उपलब्धि तुलनात्मक रूप से खराब प्रतीत होती है। समय की मांग है कि उन खामियों या सीमाओं की पहचान की जाए जो महिला सशक्तिकरण की प्राप्ति में बाधा डाल रही हैं और यह पहल महिलाओं द्वारा ही शुरू की जानी चाहिए, साथ ही राज्य और समाज द्वारा नीतिगत पहल भी की जानी चाहिए। आइए हम शपथ लें कि हम एक समतावादी समाज चाहते हैं जहाँ सभी को, चाहे वे पुरुष हों या महिला, अपनी और समग्र समाज की भलाई के लिए अभिव्यक्ति और उत्थान का समान अवसर मिले। महिला सशक्तिकरण कोई उत्तरी अवधारणा नहीं है, बल्कि पूरे देश में महिलाएँ हैं। दक्षिण के देशों सहित दुनिया के कई देश इतिहास की शुरुआत से ही लैंगिक असमानताओं को चुनौती देते रहे हैं और उन्हें बदलते रहे हैं। इन संघर्षों को कई पुरुषों का भी समर्थन मिला है जो महिलाओं के खिलाफ अन्याय से क्षुब्ध हैं। महिलाएं दुनिया की आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करती हैं और लैंगिक असमानता इस ग्रह के हर देश में मौजूद है। जब तक महिलाओं को पुरुषों के समान अवसर नहीं दिए जाते, तब तक पूरा समाज अपनी वास्तविक क्षमता से कम प्रदर्शन करने के लिए अभिशप्त रहेगा। समय की सबसे बड़ी जरूरत महिलाओं के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण में बदलाव लाना है।

"जब महिलाएं आगे बढ़ती हैं तो परिवार आगे बढ़ता है, गांव आगे बढ़ता है और राष्ट्र आगे बढ़ता है"। यह आवश्यक है क्योंकि उनके विचार और उनके मूल्य एक अच्छे परिवार, अच्छे समाज और अंततः एक अच्छे राष्ट्र के विकास का मार्ग प्रशस्त करते हैं। सशक्तीकरण का सबसे अच्छा तरीका शायद महिलाओं को विकास की मुख्यधारा में शामिल करना है। महिला सशक्तीकरण तभी वास्तविक और प्रभावी होगा जब उन्हें आय और संपत्ति प्रदान की जाए ताकि वे अपने पैरों पर खड़ी हो सकें और समाज में अपनी पहचान बना सकें। महिला सशक्तीकरण 21वीं सदी की सबसे महत्वपूर्ण चिंताओं में से एक बन गया है, न केवल राष्ट्रीय स्तर पर, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केवल सरकारी पहल पर्याप्त नहीं होगी। समाज को एक ऐसा माहौल बनाने के लिए पहल करनी होगी जिसमें लैंगिक भेदभाव न हो और महिलाओं को समानता की भावना के साथ स्वयं निर्णय लेने और देश के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक जीवन में भाग लेने के पूर्ण अवसर प्राप्त हों।

संदर्भ

1. डुफ्लो ई) .2011महिला सशक्तीकरण और आर्थिक विकास (, राष्ट्रीय आर्थिक अनुसंधान ब्यूरो, कैम्ब्रिज।
2. भारतओई/आईएफएडी - महिला सशक्तीकरण :, 2000. भारत गणराज्य; तमिलनाडु महिला विकास परियोजनापूर्णता मूल्यांकन :, रिपोर्ट 340- आईएन रोम, अप्रैल।
3. बरुआ बी) .2013ग्रामीण सशक्तिकरण में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की भूमिका। (
4. गोस्वामी, एल) .2013वार्षिक पत्रिका :महिला सशक्तिकरण हेतु शिक्षा। अभिव्यक्ती .(, 1, 17-18.
5. बरुआ, बी) .2013 पूर्वोत्तर भारत की .(ग्रामीण महिला शिक्षा को सशक्त बनाने में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की भूमिका। अभिव्यक्तीवार्षिक पत्रिका :, 1, 23-26. [6]. कदम, आर) .एन .2012.(
6. भारत में महिला सशक्तिकरणलैंगिक अंतर को पाटने का एक प्रयास। वैज्ञानिक और अनुसंधान प्रकाशनों का अंतर्राष्ट्रीय जर्नल -, 2
7. सुगुना, एम., (2011). भारत में शिक्षा और महिला सशक्तिकरण। जेनिथबहुविषयक अनुसंधान का अंतर्राष्ट्रीय जर्नल :, 1(8), 19-21.
8. डॉ दशरथी भुयान .“भारतीय महिलाओं का सशक्तिकरण :21वीं सदी की एक चुनौती” उड़ीसा रिव्यू, 2006
9. विन्ज़े, मेधा दुबाशी)1987 (“भारतीय महिला सशक्तिकरणआर्थिक अध्ययन-दिल्ली का एक सामाजिक :” मित्तल प्रकाशन, दिल्ली..
10. धुबा हज़ारिका “भारत में महिला सशक्तिकरणएक संक्षिप्त चर्चा :” अंतर्राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन पत्रिका1 खंड ., अंक 3(2011)

11. पंकज कुमार बरो और राहुल सरानिया "रोज़गार और शैक्षिक स्थितिभारत में महिला सशक्तिकरण की चुनौतियाँ :", एक समकक्षसमीक्षित अनुक्रमित - .अंतर्राष्ट्रीय मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान पत्रिका

::: Cite this article :::

रेणु, डॉ. देवी लाल. (2025). भारत में महिला सशक्तिकरण के मुद्दों और चुनौतियों पर एक अध्ययन. SK INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY RESEARCH HUB, 12(9), 14–23. https://doi.org/10.61165/sk.publisher.v12i9.2